28

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 7/21 सन् 2021

GCMS NO-2021/43

बउनवानीः–1. शब्बीर पुत्र मुन्शा मुसलमान गद्दी निवासी खाटखुर्द तह0सवाईमाधोपुर
2. आमीन पुत्र मुन्शा मुसलमान गद्दी निवासी खाटखुर्द तह0सवाईमाधोपुर
3.इंसाफ अली पुत्र मुन्शा मुसलमान गद्दी नि0 खाटखुर्द तह0सवाईमाधोपुर
4.लियाकत अली पुत्र मुन्शा मुसलमान गद्दी नि0खाटखुर्द तह0सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर
2. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 46 निर्णय दिनांक 23.02.2004 वाके ग्राम खाटखुर्द, तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः– 1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री तोफीक मोहम्मद पैरोकार राजस्व

–: निर्णय :– **दिनांक 28.12..2021**

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 46निर्णय दिनांक 23.02.2004 वाके ग्राम खाटखुर्द तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी किन्तु रेस्पो. संख्या 2 बावजूद तामील नोटिस न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ। अदालत मातहत से मूल अभिलेख प्राप्त नही होने पर प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख अनुभाग से सम्बन्धित मूल अभिलेख की मूल नामा0 जिल्द अवलोकन हेतु तलब की गयी जो बाद बहस वापस प्र.अ. भू.अभिलेख को उपलब्ध करवायी गयी।

तत्पश्चात बहस वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार राजस्व सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व मौके की जॉच नही की, ना ही अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर भी नही दिया। अपीलान्ट को बिना सुनवायी का अवसर दिये ही आदेश जैर अपील पारित किया है। क्योकि विवादग्रस्त भूमि साबिक ख0न0 273 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा अपीलान्ट के पिता के नाम से दर्ज थी उसके पश्चात साबिक ख0न0 273 के नवीन ख0न0 480 रकबा 0.27 है0 हाल खतौनी में दर्ज था जिसको तहसीलदार सवाईमाधोपुर ने बिना नोटिस दिये गैर मुमकिन सड़क के नाम से दर्ज कर दिया जबकि हाल ख0न0 480 रकबा 0.24 है0 मे मौके पर कोई सड़क मौजूद नही है क्योकि विवादित सड़क मेगा हाईवे से ग्राम पढाना को जाने वाली नहर की पटरी पर बनी हुई है। यह तर्क भी दिया कि उक्त ख0न0 480 मे से 0.03 है0 भूमि अपीलान्टगण के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है शेष रकबा 0.24 है0 रेस्पो0 संख्या 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण खेत के पडौसी व्यक्ति लठ्ठ के जोर से अतिक्रमण करने पर आमादा है जिसके कई प्रकरण थाने पर दर्ज करा रखे है। यह तर्क भी दिया कि तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्रांक एलआर/03–7517 दिनांक 5.12.2003 की नकल हेतु तहसील कार्यालय सवाईमाधोपुर में दिनांक 27.8.2020,16.12.2020 को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था किन्तु उक्त आदेश की नकल नही दी गयी है।

64.

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

आदेश जैर अपील की नकल हेतु दिनांक 11.1.2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 24.2.2021 को पटवारी हल्का से नकल प्राप्त होने पर अपील जानकारी से अन्दर मयाद प्रस्तुत की गयी है। इसलिए अपीलान्ट अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान पैरोकार राजस्व द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है क्योकि अपीलान्ट की ख0न0 480 रकबा 0.27 है0 भूमि मे से मेगा हाईवे–पढाना को जाने वाली सड़क निर्माण हेतु 0.24 है0 भूमि अवाप्त की जाकर अवाप्त की गयी भूमि का अपीलान्टगण को मुआवजा दिया जाकर अपीलान्ट की भूमि पर सड़क का निर्माण किया गया है। चूंकि उक्त अवाप्ति आदेश की पालना मे ही आदेश जैर अपील पारित हुआ है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि मुताबिक नामा0 संख्या 46 के कॉलम संख्या 14 मे अंकित विवरण के अनुसार न्यायालय भूमि अवाप्ति अधिकारी सा0नि0वि0 वृत सवाईमाधोपुर के अधिनिर्णय दिनांक 9.6.2003 के अनुसरण में तहसीलदार सवाईमाधोपुर के आदेश क्रमांक एल.आर./03/7517 दिनांक 5.12.2003 की पालना में आदेश जैर अपील पारित किया गया है किन्तु उक्त अवाप्ति आदेश एव तहसीलदार सवाईमाधोपुर के आदेश की प्रति तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा न्यायालय हाजा को उपलब्ध नही करवायी गयी है जिसके कारण आदेश जैर अपील मे अंकित विवादित भूमि सड़क निर्माण हेतु अवाप्त हुई है या नही के संबंध में तथ्य अस्पष्ट नही होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील का तहसीलदार सवाईमाधोपुर से पुनः परीक्षण करवाये जाने हेतु प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलान्ट की भूमि साबिक ख0न0 480 रकबा 0.27 है0 में से सड़क निर्माण हेतु 0.24 है0 भूमि अवाप्त की गयी है या नही? यदि अवाप्त की गयी है तो उसका मुआवजा अपीलान्टगण को दिया गया है अथवा नही? इत्यादि तथ्यों एवं उक्त अवाप्ति आदेश को रिकार्ड पर लिया जाकर अपीलान्टगण को साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। यदि पटवार पड़त में नामा0 संख्या 46 दिनांक 23.2.2004 के साथ अवाप्ति आदेश एवं तहसीलदार का आदेश चस्पा नही है तो संबंधित दोषी पटवारी के विरूद्व कार्यवाही प्रस्तावित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2021 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर